"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 जनवरी 2020 — पौष 25, शक 1941

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 15 जनवरी 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-1/2020/एक-7. — दिनांक 12 जुलाई 2009 को प्रात: जिला राजनांदगांव के मदनवाड़ा कैम्प से बाहर निकले जवानों पर नक्सलियों द्वारा किये हमले से 02 पुलिसकर्मी शहीद हो गए. तत्पश्चात् घटना की सूचना पर तत्काल शहीद विनोद चौबे, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव हमराह स्टाफ के कैम्प मदनवाड़ा की ओर बढ़ने के दौरान ग्राम कोरकोट्टी में हुए नक्सली हमले से पुलिस अधीक्षक सहित 25 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे. इस घटना की रिपोर्ट पर थाना मानपुर में अपराध क्रमांक-56/2009 धारा 302, 147, 148 ता. हि., 25, 27 आर्म्स एक्ट एवं छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम-2005 की धारा 8(3), (5) एवं विधि विरूद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 23, 38(1)(2), 39(1)(2) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि मदनवाड़ा नक्सली हमले की घटना के 10 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी उक्त घटना के संबंध में सार्वजनिक महत्व के अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भ्रम की स्थिति को दूर करने हेतु एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है.

2. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का सं. 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त घटना की जांच हेतु एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित करता है. आयोग के अध्यक्ष के रूप में माननीय सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री शंभुनाथ श्रीवास्तव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को नियुक्त किया जाता है.

3. जांच आयोग निम्नलिखित बिंदुओं पर अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे :-

(01) दिनांक 12-07-2009 को थाना मानपुर अंतर्गत ग्राम मदनवाड़ा, महका पहाड़ी, ग्राम कारेकट्टा एवं ग्राम कोरकोट्टी के निकट नक्सली घटना घटित हुई जिसमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव शहीद व्ही. के. चौबे समेत 29 पुलिस कर्मचारी शहीद हुए थे. यह घटना किन परिस्थितियों में घटित हुयी?

(02) क्या घटना को घटित होने से बचाया जा सकता था ?

(03) क्या सुरक्षा की सभी निर्धारित प्रक्रियाओं-निर्देशों का पालन किया गया था?

(04) वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके आधार पर पुलिस अधीक्षक एवं सुरक्षाबलों को उक्त अभियान में जाना पड़ा?

(05) मदनवाड़ा, कारेकट्टा एवं कोरकुट्टी में पुलिस अधीक्षक एवं सुरक्षाबलों के एम्बुश में फंसने पर क्या अतिरिक्त संसाधन एवं बल उपलब्ध कराया गया ? यदि हां, तो उसको स्पष्ट करें.

(06) उक्त घटना में नक्सलियों को हुए नुकसान एवं नक्सलियों के घायल/मृत होने के संबंध में जांच?

(07) उक्त घटना में मृत एवं घायल सुरक्षाबल के सदस्य किन परिस्थितियों में मृत एवं घायल हुए?

(08) घटना के पूर्व, घटना के दौरान एवं घटना के उपरांत ऐसे अन्य मुद्दे, जो घटना से संबंधित हों, इस बाबत् तथ्यात्मक प्रतिवेदन?

(09) क्या राज्य पुलिस बल एवं केन्द्रीय बल के बीच में समुचित समन्वय रहा है?

(10) भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनर्रावृत्ति न हो, इस हेतु सुरक्षा एवं प्रशासकीय कदम उठाये जाने के संबंध में सुझाव एवं उपाय?

(11) अन्य ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु जो घटना से संबंधित हों?

4. इस अधिसूचना के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन की तारीख से 06 माह के भीतर आयोग अपनी जांच पूर्ण कर शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शांडिल्य, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.